

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- बीजापुर(छ.ग.)

दुरभाष क्र० - 07853220264

E-mail -bijapurcmho264@gmail.com

क्रं./2136/मुचिअ/नी0आ0 /स्था0/2023

बीजापुर दिनांक 24/01/2023

// विज्ञप्ति //

नीति आयोग मद से निर्मित 27 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग मद से प्रोजेक्ट- कोऑर्डिनेटर एव फील्ड -कोऑर्डिनेटर के पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति उपरांत विज्ञापन जारी कर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का पदनाम के सम्मुख दर्शित तिथि को **Walk in Interview** आयोजित किया जाता है।

अतः निर्धारित तिथि को वांछित समस्त मूल दस्तावेज एवं (01 सेट छायाप्रति) के साथ अद्योलिखित समय पर उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

रिक्त पदों का वर्गवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक मानदेय	शैक्षणिक योग्यता	वॉक-इन-इन्टरव्यू दिनांक
01	प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर	कुल पद - 01	50000	1. एमबीए/एनएसडब्ल्यू उत्तीर्ण 2. किसी शासकीय /पंजीकृत संस्था /NGO/में उक्त पद पर 05 वर्ष का कार्यअनुभव को प्राथमिकता/ 3. हिंदी/अंग्रेजी का ज्ञान । 4. एम एस ऑफिस का ज्ञान /पीपीटी /डेटा एनालिसिस का ज्ञान ।	30/01/2023
02	फील्ड कोऑर्डिनेटर	कुल पद - 10	18000	1. बीएससी नर्सिंग/जीएनएम उत्तीर्ण 2. छ0ग0 नर्सिंग काउंसिल से पंजीयन 3. क्षेत्रीय भाषा (गोंडी/हल्बी/तेलुगू) का ज्ञान 4. जिला बीजापुर के निवासी का प्राथमिकता	

नीति आयोग के माध्यम से निर्मित 27 उप स्वास्थ्य केंद्रों में सेक्टरवार पदों की संख्या

क्र.	सेक्टर का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	फील्ड कोऑर्डिनेटर	प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर
01	सागमेटा	सागमेटा, अंबेली, जैगूर	अनारक्षित - 01	अनारक्षित - 01
02	बड़ेपल्ली	बड़ेपल्ली, बेलनार, धर्मा	अनारक्षित - 01	
03	कोशलनार	मंगनार, कोशलनार	अनारक्षित - 01	
04	बेचापाल	बेचापाल, पोंदुम	अनारक्षित - 01	
05	गंगालुर	गंगालुर, गोंगला, पुसनार	अनारक्षित - 01	
06	चेरपाल	चेरपाल, पीड़िया	अनारक्षित - 01	
07	बासागुड़ा	मुरदण्डा, बासागुड़ा, लिंगागिरी	अनारक्षित - 01	
08	एर्रापल्ली	उड़तामल्ला, एर्रापल्ली	अनारक्षित - 01	
09	उसूर	उसूर, संकनपल्ली, पुजारीकांकेर,	अनारक्षित - 01	
10	सेण्ड्रा	सेण्ड्रा, केरपे, बड़ेकाकलेड, तारलागुड़ा	अनारक्षित - 01	

(Handwritten Signature)

दायित्व :-

प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर :-

1. स्वास्थ्य परिधियों के अनुसार परिकल्पना का संचालन।
2. फील्ड कोऑर्डिनेटर के साथ उनके स्थानीय क्रियाकलापों का निगरानी करना।
3. जिला प्रशासन की सहायता से परिकल्पना को सुचारु रूप से सुगम्य बनाना।
4. नियमित समयानुसार परिकल्पना का रिपोर्ट तैयार कर साझा करना।
5. डेटा एकत्रित कर आवश्यक व्यवहार अनुरूप क्रियान्वयन करना।
6. फ्रंट लाइन वर्कर को परियोजना अनुरूप प्रोत्साहन देना।
7. आवश्यक कार्यवाही अनुरूप प्रतिवेदन एवं सत्यापन कि विधि का पालन करना।
8. प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना।


फील्ड कोऑर्डिनेटर :-

1. स्वास्थ्य परिधियों के अनुसार परिकल्पना का संचालन।
2. उप स्वास्थ्य केन्द्र के साथ स्थानीय क्रियाकलापों का निगरानी करना।
3. सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से परिकल्पना को सुचारु रूप से सुगम्य बनाना।
4. नियमित समयानुसार परिकल्पना का रिपोर्ट तैयार कर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से साझा करना।
5. उप स्वास्थ्य केन्द्रों से डेटा एकत्रित कर आवश्यक व्यवहार अनुरूप क्रियान्वयन करना।
6. आवश्यक कार्यवाही अनुरूप प्रतिवेदन एवं सत्यापन कि विधि का पालन करना।

चयन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश:-

- 1- यह पद न ही नियमित है एवं न ही संविदा यह पूर्णतः अस्थायी होगा जो कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फील्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढिकरण हेतु किया जा रहा है।
- 2- फील्ड कोऑर्डिनेटर हेतु आवेदक द्वारा किसी एक सेक्टर के लिए ही आवेदन किया जावेगा, एक से अधिक सेक्टर हेतु आवेदन किये जाने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
- 3- उक्त पद हेतु मानदेय नीति आयोग मद अन्तर्गत प्रावधानित वेतन एकमुश्त देय होगा, एवं फील्ड कार्य हेतु यात्रा भत्ता नियमानुसार प्रदाय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- 4- पदस्थापना नियुक्ति तिथि से आगामी 01 वर्ष तक के लिये ही किया जावेगा स्थिति को देखते हुए एवं आवश्यकतानुसार सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
- 5- यह नियुक्ति स्थानीय व्यवस्था के तहत की जा रही है, जिसे कलेक्टर महोदय जिला बीजापुर द्वारा कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। जिसे अभ्यर्थी को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
- 6- उक्त पद के लिये पदवार प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो कि 01 वर्ष के लिये मान्य होगी।
- 7- संबंधित अभ्यर्थी को उपरोक्त 27 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कही भी नियुक्ति प्रदान की जा सकती है, अभ्यर्थी को उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र में निवास रहकर ही कार्य करना अनिवार्य है। ऐसा नही करने की स्थिति में सेवा समाप्त कर प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति कि जा सकती है, जिसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
- 8- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार/ के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा की गयी हो वो चाहे किसी भी पद पर कार्य कर रहे हो, उनकी नियुक्ति समाप्त करने हेतु शासन पक्ष स्वतंत्र होगा।
- 9- भर्ती की समस्त जानकारी जिला बीजापुर के वेबसाइट <https://bijapur.gov.in/> तथा कार्यालय के सूचना पटल से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- 10- Walk in Interview के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित को संलग्न करना अनिवार्य है।
- 11- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधितों को पृथक से नहीं दी जावेगी।
- 12- आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नरस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। (1. आवेदन पत्र, 02 निवास प्रमाण पत्र, 03 जाति प्रमाण पत्र, 04 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, 05 अनुभव प्रमाण पत्र 06 अन्य प्रमाण पत्र।)

- 13- उम्मीदवार की आयु 01.01.2023 की स्थिति में फील्ड कोऑर्डिनेटर हेतु न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये। तथा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हेतु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- 14- चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 15- उक्त पद पर अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- 16- उक्त पद के लिये प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 03 माह तक होगी। इस समयावधि में त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति भी इसी प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी। उक्त वैधता सूची की विधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है।
- 17- भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
- 18- आवश्यक दस्तावेज – आवेदन करते समय निम्न अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न किया जावे :-
 - a. 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
 - b. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्गों की अंकसूची/संबंधित डिग्री/ इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र।
 - c. छ.ग. मेडिकल/नर्सिंग/पैरामेडिकल कॉउन्सिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक है।
 - d. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/ निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य।
 - e. अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय संस्थान /अर्द्धशासकीय संस्था/एनजीओ का मान्य होगा।
 - f. अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर तथा कार्यालयीन जावक कमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य किये जायेंगे। अनुभव में अंको की गणना एक संस्था में एक पद पर 12 माह होने पर ही एक वर्ष का अंक दिया जायेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंको की गणना नहीं की जावेगी।
- 19- अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जायेगी:-
 - a. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अंक।
 - b. अनुभव-अधिकतम 10 अंक प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से (पद से संबंधित अनुभव ही मान्य किये जावेंगे)।
 - c. साक्षात्कार हेतु 10 अंक है।
 - d. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अंक, अनुभव के 10 अंक एवं साक्षात्कार के 10 अंको को जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
19. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हेतु छ0ग0 के निवासी आवेदन कर सकते है।
20. फील्ड कोऑर्डिनेटर हेतु जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा ।
21. उक्त नियुक्ति स्थानीय व्यवस्था के तहत की जा रही है अतः संबंधित अभ्यर्थी को प्रसूति/पितृत्व अवकाश की पात्रता नहीं होगी । किंतु प्रसूति/पितृत्व अवकाश में No Work No Payment पर अवकाश दिया जा सकता है।
22. नियुक्त कर्मचारी का त्रैमासिक/वार्षिक कार्यमूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
23. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार किसी अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना अथवा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जायेगा।।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
 जिला- बीजापुर (छ.ग.)

पदों पर भर्ती हेतु समय सारणी :-

क्र.	पदनाम	दिनांक	आवेदन पंजीयन	दस्तावेज सत्यापन	पात्र/अपात्र सूची प्रकाशन	दावा आपत्ति	दावा आपत्ति निराकरण
01	प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर	30.01.2023	प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक	12.00 बजे से 02.00 बजे तक	04.00 बजे	04.00 से 04.30 बजे तक	05.00 बजे
02	फील्ड कोऑर्डिनेटर						